

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 151/2023 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

कलो कुमारी पुत्री देवीलाल जाति स्वामी निवासी बन्नासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।  
-वादीया

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री मांगीलाल वर्मा वकील-वादीया  
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 20.3.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री मांगीलाल वर्मा वकील वादीया व पेरोकारराज की उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा बन्नासर के ख.नं. 529 की 6.386 है., 78 की 0.607 है., 86 की 6.956 है. कुल 13.949 है. कृषि भूमि में दर्ज वादीया का नाम कालो कुमारी पुत्री देवीलाल के स्थान पर कलो कुमारी पुत्री देवीलाल दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.3.2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर